

अनवान... देवारास v/s कुवली देवी  
मुकदमा नंबर... 64 / 2024

नम्बर व  
तारीख  
हुकम

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

10.02.2025

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थीगण वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल रहे।

दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्ड्ड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काशत करते आ रहे हैं। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से विप्रार्थीगण माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते हैं। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि का नेखमबंदी का आदेश फरमाया जावे।

विप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि विप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि पर कभी भी अतिक्रमण या कब्जा नहीं किया गया विप्रार्थीगण राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार काबिज काशत है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

हमने दोनो पक्षों की विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरता से अवलोकन व मनन किया। प्रार्थीगण अपने खातेदारी भूमि पर नेखम कायम करना चाहते हैं जिस बाबत विप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ताण्डाबेशतहसील सिवाना की खसरा संख्या 547 रकबा 11.2260 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को 2000/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो।

उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक: वाचक / 2025 / 283

दिनांक : 20.02.2025

प्रार्थी  
देवाराम पुत्र वोताराम वगैरा

बनाम

विप्रार्थीगण  
कवलीदेवीपुत्री दुर्गराम वगैरा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश  
जरिये पत्थर गढी

राजस्व आवेदन सं 64 / 2024

दिनांक :- 10.02.2025

-:: आदेश ::-

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम ताण्डाबेरा तहसील सिवाना की खसरा संख्या 547 रकबा 11.2260 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रूपये 2000 / - प्रार्थीगण मौके पर अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हे सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)

दिनांक : 20.02.2025

क्रमांक: वाचक / 2025 / 284

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी धारणा को तहसीलदार सिवाना द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी देवाराम पुत्र वोताराम जाति पुरोहित निवासी ताण्डाबेरा धारणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा



  
उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)